न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 660 / 2022

अनवान : –

1. यासिका पुत्री रणजीत नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुनीता रानी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी रामगढ़ हाल नत्थोर तहसील राणिया।

– **वादी**

बनाम्

1. रणजीत पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी रामढ़ तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ़ उज्जलवास तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

दिनांकः 20/05/2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12 / 11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288 / 9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124 / 124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19 / 19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा एवं वादीया के दादी के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा हे। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गयी उक्त वाद भूमि में वादीया का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा रोही मौजा चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12/11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288/9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीया को बहिब की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा एवं वादीया के दादी के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा हे। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गयी उक्त वाद भूमि में वादीया का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। जिसकी वादीया न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12/11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288/9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि यदि वादीया को अनुतोष डिक्री किया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12/11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288/9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीया को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 660/2022

अनवान : –

1. यासिका पुत्री रणजीत नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुनीता रानी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी रामगढ़ हाल नत्थोर तहसील राणिया।

– वादी

बनाम्

1. रणजीत पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी रामढ़ तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रामगढ़ उज्जलवास तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 660 सन 2022 निर्णय दिनांक 20/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12/11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288/9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के साथ वादीया को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:13:12 IST
Reason: SelfAttested